तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.।	

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि आवेदक द्वारा ग्राम मोरी बेडा स्टेशन स्थित भूमि खसरा नं. 1292 रकबा 1.2300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये ग्राम मोरी बेडा स्टेशन स्थित भूमि ख. नं. 1294, 1296, 1312, 1314, 1162 राजकीय सिवायचक भूमि में से नये रेकॉर्ड रास्ते की मांग की गई है। आवेदक के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार बाली से तलब की गई तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट में वर्णित अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता में खसरा नं. 1297 व 1312 किस्म गै.मु. नाला भी स्थित है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमिया है लेकिन प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा इसी भूमि से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 1292 रकबा 1.2300 हैक्टर तक पहुँच के लिये रास्ता प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है।

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तावित किया रास्ता सिर्फ सिवायचक और प्रतिबंधित श्रेणी जमीन से गुजर रहा है तथा किसी प्रार्थी के वैयक्तिक इस्तेमाल के लिये इतना लंबा रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। अतः तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि मौके पर वर्तमान में मौजूद कदीमी रास्ता को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने हेतु राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प 3(2) राज-6/2003 पार्ट जयपुर, दिनांक 10-8-2016 तथा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक: प.3(17) राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30-09-2021 अनुसार कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड व नक्शे में तरमीम किये जाने बाबत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)